



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

// विज्ञापन //

संविदा नियुक्ति

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में स्वीकृत भू-अर्जन अधिकारी पद के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर से संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 07.06.2014 संध्या 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क.	पदनाम	रिक्त पद	पात्रता
1	2	3	4
1	भू-अर्जन अधिकारी	1 पद	(1) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर से सेवानिवृत्त हो। (2) भू-अर्जन अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। (3) किसी प्रकार का न्यायालयीन या अपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो।

नियम एवं शर्तें :-

01. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये किया जावेगा। आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार किया जा सकता है।
02. नियुक्ति पूर्णता: अस्थाई (संविदा) होगी एवं बिना कारण बताए सेवा समाप्ति की जा सकती है।
03. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2014 को अधिकतम 69 वर्षों से अधिक न हो।
04. यह संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रं. एफ-91/2004/113 रायपुर दिनांक 28.07.2004 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
05. उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर सभी वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रति के साथ दिनांक 07.06.2014 संध्या 05.00 बजे तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
06. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
07. अपरिहार्य परिस्थितियों में चयन प्रक्रिया बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर